	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	भाद्र 31, गुरुवार, शाके 1933–सितम्बर 22, 2011 *Bhadra 31, Thursday, Saka 1933–September 22, 2011*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 22, 2011

संख्या प. 2(33) विधि/2/2011:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई, एतदद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः–

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011
(2011 का अधिनियम संख्यांक 29)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह अधिनियम, धारा 3 से 10 के सिवाय, जो 31 मार्च, 2011 को और से प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी, तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (xiii) के उप-खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति

"मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मुख्य कार्यपालक अधिकारी और आयुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 49 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (9) के खण्ड (vii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अध्यक्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "नगरपालिका" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 94 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 94 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य सरकार के अनुरोध पर," हटायी जायेगी।

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में नयी धारा 99-क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम में, विद्यमान धारा 99 के पश्चात् और विद्यमान धारा 100 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"99-क. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा.- (1) नगरपालिकाओं के लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 56) के उपबंधों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किये जायेंगे।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को नगरपालिक लेखाओं की संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण भी न्यस्त करेगी।

(3) राज्य सरकार, उप-धारा (2) में यथानिर्दिष्ट तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ-साथ राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट को राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखवायेगी।" ।

6. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 182 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 182 की उप-धारा (3) के खण्ड (vii)

में, अंत में आये हुए विद्यमान विराम चिह्न ";" के स्थान पर अभिव्यक्ति "; या" प्रतिस्थापित की जायेगी और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"(viii) भूमि के किसी भी विद्यमान अनुज्ञेय उपयोग से ऐसे किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए, जो राज्य सरकार विहित करे:"।

7. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 194 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 194 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) में, अंत में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति," के स्थान पर अभिव्यक्ति "; या" प्रतिस्थापित की जायेगी और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"(ङ) किसी भूमि या भवन पर कोई टावर या इसी प्रकार की संरचना को निर्मित या पुनर्निर्मित करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति," ।

8. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 332 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 332 की उप-धारा (3) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयुक्त, या, यथास्थिति, कार्यपालक अधिकारी" हटायी जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "नगर निगम या नगर परिषद् या नगरपालिक बोर्ड के महापौर या सभापति या, यथास्थिति, अध्यक्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "नगरपालिका" प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 333 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 333 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मुख्य नगरपालिक अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश सं. 02) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या

किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP- II)
NOTIFICATION
Jaipur, September 22, 2011

No. F.2(33) Vidhi/2/2011.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Nagarpalika (Dvitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (2011 Ka Adhiniyam Sankhyank 29) : -

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2011
(Act No.29 of 2011)

[Received the assent of the Governor on the 21st day of September, 2011]

An

Act

Further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty- second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Second Amendment) Act, 2011.

(2) This Act shall come into force at once except sections 3 to 10 which shall be deemed to have come into force on and from 31st March, 2011.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-clause (a) of clause (xiii) of section 2 of the

Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 9 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, the existing expression "Chief Executive Officer-cum-Commissioner" shall be substituted by expression "Chief Executive Officer and Commissioner".

3. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In clause (vii) of sub- section (9) of section 49 of the principal Act, for the existing expression " the Chairperson", the expression " the Municipality" shall be substituted.

4. Amendment of section 94, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (2) of section 94 of the principal Act, the existing expression ", on the request of the State Government" shall be deleted.

5. Insertion of new section 99-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In the principal Act, after the existing section 99 and before the existing section 100, the following new section shall be inserted, namely:-

"**99- A. Audit by Comptroller and Auditor General of India.- (1)** The accounts of the Municipalities shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India in accordance with the provisions of the Comptroller and Auditor General' s (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (Central Act No. 56 of 1971).

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government shall also entrust the Comptroller and Auditor General of India with the technical guidance and supervision over the audit of the municipal accounts.

(3) The State Government shall cause the audit report under the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954 (Act No. 28 of 1954) along with Annual Technical Inspection report of the Comptroller and Auditor General of India on the technical guidance and supervision as referred to in sub- section (2) to be laid before the State Legislature".

6. Amendment of section 182, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In clause (vii) of sub- section (3) of section 182 of the principal Act, for the existing Punctuation mark ":", appearing at

the end, the expression "; or" shall be substituted and thereafter the following new clause shall be added, namely:-

"(viii) from any existing permissible use of land to any other purposes, as the State Government may prescribe:".

7. Amendment of section 194, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In clause (d) of sub- section (1) of section 194 of the principal Act, for the existing punctuation mark ",", appearing at the end, the expression "; or" shall be substituted and thereafter the following new clause shall be added, namely:-

"(e) to erect or re-erect any tower or similar structure on a land or building,".

8. Amendment of section 332, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub- section (3) of section 332 of the principal Act,-

(i) the existing expression ", Commissioner or an Executive Officer, as the case may be," shall be deleted; and

(ii) for the existing expression "Mayor or President or Chairperson of the Municipal Corporation or Municipal Council or Municipal Board, as the case may be,", the expression "Municipality" shall be substituted.

9. Amendment of section 333, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub- section (2) of section 333 of the principal Act, for the existing expression "Chief Executive Officer", the expression "Chief Municipal Officer" shall be Substituted.

10. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Municipalities (Amendment) Ordinance, 2011 (Ordinance No. 02 of 2011) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under the principal Act as amended by this Act.

प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.